रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2014/वैशाख 2, 1936
No. 217] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2014/VAISAKHA 2, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 287(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 की धारा 110 की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 692 (अ) तारीख 17 अक्तूबर, 2013 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 17 अक्तूबर, 2013 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) सिवाय इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 125ग के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(1) 1 अक्तूबर, 2014 को और उसके पश्चात् 13 या अधिक यात्रियों जिसके अंतर्गत चालक नहीं है बैठने की क्षमता वाली बसों के नए माडलों के ढांचे का परीक्षण और अनुमोदन उनमें वर्णित यानों के लिए, समय समय पर यथा संशोधित एआईएस : 052 (पुनरीक्षण-1) 2008 के अनुसार किया जाएगा जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विशिष्टियां अधिसूचित नहीं कर दी जाती हैं:

परंतु इस नियम के उपबंध] 13 या अधिक यात्रियों, जिसके अंतर्गत चालक नहीं है, के बैठने की क्षमता वाली बसों के विद्यमान माडलों को 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् लागू होंगे";

3. उक्त नियमों के प्ररूप 22क में,-

(i) "[देखें नियम 47 (छ) 115, 124(2), 126क 127(1) और 127(2)]" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"देखें नियम 47 (छ) 115, 124(2), 125ग*, 126क, 127]";

(ii) भाग 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"भाग 2

(बॉडी निर्माता द्वारा जारी किया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित यान की बॉडी हमारे द्वारा बनाई गई है और यह मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अनुपालना करती है:

1. यान का बांड नाम --

2. चेसिस संख्या ---

3. इंजन संख्या/ मोटर संख्या ----------------------------------

*4. बस बॉडी निर्माता प्रत्ययन प्रमाण पत्र संख्या ----------- तारीख-------------तक वैध

*5. बस बॉडी अनुमोदन प्रमाण पत्र संख्या ----------- तारीख ---------------------------------- जारी करने वाला जॉच अभिकरण ----------------------------------

*केवल बसों के लिए लागू

(बॉडी निर्माता के हस्ताक्षर)

[प्ररूप 22क भाग II प्ररूप में ही बॉडी विनिर्माता के अनुरूपी स्याही में हस्ताक्षर और मुहर के अधीन सम्यक रूप से मुद्रित प्ररूप में बस बॉडी निर्माता के हस्ताक्षर सहित जारी किया जाएगा ।]

टिप्पण : भाग II, बसों के नए मॉडलों को 1 अक्तूबर, 2014 को और उसके पश्चात् और बसों के विद्यमान मॉडलों को 1 अप्रैल, 2015 को और उसके पश्चात् लागू होगा ।"

[फा. सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः--मूल नियम सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून,1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 277(अ), तारीख 11 अप्रैल, **2014** द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2014

G.S.R. 287(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 692(E), dated 17th October, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 17th October, 2013;

And, whereas, suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (4th Amendment) Rules, 2014.

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules), in rule 125C, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

   "(1) On and after the 1st day of October, 2014, the testing and approval for body building of new models of buses with seating capacity of 13 or more passengers excluding driver shall be in accordance with AIS:052 (Revision 1)-2008, as amended from time to time, for vehicles mentioned therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986):

   Provided that the provisions of this rule shall be applicable to the existing models of buses with seating capacity 13 or more passengers excluding driver on and after the 1st day of April, 2015";

3. In the said rules, in Form 22-A,-

   (i) for "[Refer Rules 47(g), 115, 124(2), 126A and 127(1), 127(2)]", the following shall be substituted, namely:-

   "[See rules 47(g), 115, 124(2), 125C*, 126A, 127]";

   (ii) for PART-II, the following shall be substituted, namely:-

"PART-II

(To be issued by the body builder)

Certified that the body of the following vehicle has been fabricated by us and the same complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the rules made there under:

1. Brand name of the vehicle______________________

2. Chassis No.___________________________________

3. Engine No./Motor No. _________________________

*4. Bus Body Builder Accreditation Certificate Number __________Date________ Valid up to date _____________

*5. Bus Body Type Approval Certificate Number _______________Date _________ issued by the approving Test Agency.

* *Applicable for buses only*

(Signature of the body builder)

[Form 22-A Part II shall be issued with the signature of the body builder duly printed in the Form itself by affixing facsimile signature in ink under the hand and seal of the body builder.]

Note:- PART-II shall be applicable for new model of buses on and after the 1st October, 2014 and for the existing model of buses, on and after the 1st day of April, 2015."

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published vide number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vid*e number G.S.R. 277(E), dated the 11th April, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.